राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– पदमपुरा

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 58 सन 2017

अनवान :–

1. सुभाष पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. आरती पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
4. चिडिया पत्नि स्व सज्जन कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. पवन कुमार पुत्र सज्जन कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
6. किरण पुत्री सज्जन कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
7. श्रवणकुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
8. विकास पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
9. संजु पुत्री श्रवण कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 08.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 55/58 की कुल 1.3410हैक जिसमें सोहनलाल का 53 हिस्सा रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 56/59 की कुल 14.6740 हैक जिसमें सोहनलाल का 380 हिस्सा एवं चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 91/2 की कुल 3. 1370हैक एवं रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 92/90 कीकुल 3.4410हैक भूमि सोहनलाल के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा प्रेमाराम पुत्र श्रीचन्द के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ,7 ,9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,8 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 ,9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,8 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वादी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा प्रेमाराम पुत्र श्रीचन्द के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में वाद भूमि आई विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्यसा 1 ता 9 का का हक हिस्सा है।

वादी का कथन की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 5 ता 7 ,9 ने अपने हको का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,8 के पक्ष में त्याग कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 ,9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,8

के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है । इस प्रकार वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 55/58 की कुल 1.3410हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 53 हिस्सा में वादी 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 56/59 की कुल 14.6740हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सयुक्त तौर से दर्ज 380 हिस्स में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/3 हिस्सा, एवं चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 91/2 की कुल 3.1370हैक , खाता संख्या 92/90 की कुल 3.4410हैक भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- अखेर रूपये पांच हजार मात्र का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन है तो बाद रहन मुक्त अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
~~राजस्व लोक दालत~~–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–पदमपुरा

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–पदमपुरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सुभाष पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 सोहनलाल पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. आरती पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
4. चिडिया पत्नि स्व सज्जन कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. पवन कुमार पुत्र सज्जन कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
6. किरण पुत्री सज्जन कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
7. श्रवणकुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
8. विकास पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
9. संजु पुत्री श्रवण कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 58 सन 2017 निर्णय दिनांक–08.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 55/58 की कुल 1.3410हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 53 हिस्सा में वादी 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 का 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 56/59 की कुल 14.6740हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सयुक्त तौर से दर्ज 380 हिस्स में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/3 हिस्सा , एवं चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 91/2 की कुल 3.1370हैक , खाता संख्या 92/90 की कुल 3.4410हैक भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखेर रूपये पांच हजार मात्र का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन है तो बाद रहन मुक्त अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 मे लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Zaidi

शिविर प्रभारी

~~राजस्व लोक~~ दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोर्ट–पदमपुरा